झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची – 834 004

संकल्प

विषय :– राज्य योजनान्तर्गत संचालित "कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना" के तहत प्रदेय कम्बल के गुणधर्म में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या–1993 दिनांक–16.08.2019 एवं संकल्प संख्या–1413, दिनांक–14.05.2025 के प्रावधानानुसार राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे व्यक्तियों यथा– वृद्धों, दिव्यांगों, विधवाओं, भूमिहीनों, बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराये गये लोगों तथा भिक्षुकों को जाड़े में ठंड से बचाव के लिए मुफ्त कंबल वितरण हेतु "कम्बल एवं वस्त्र वितरण योजना" का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

2. उपर्युक्त (संकल्प संख्या–1993 दिनांक–16.08.2019) की कंडिका–4 के प्रावधानानुसार लाभार्थियों को प्रदेय कम्बल का मानक गुणधर्म निम्नवत् है –

उत्पाद	Specification and Dimension
कम्बल	Woollen plain size 60"x90", weight Minimum 2 Kg.

3. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सदृढ़ गुणधर्म के कम्बल वितरण को सुनिश्चित कराने एवं इस संदर्भित वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत् सामग्रियों के उपलब्धता एवं व्यवहारिकता के आलोक में उक्त गुणधर्म में निम्नवत् संशोधन पर विचार किया गया।

उत्पाद	Specification and Dimension
कम्बल	Mink Cloudy Blanket with Double ply and of - **a)** Size 60"x90" (+/-2"), **b)** Weight 2 Kg. (+/- 5%) **c)** Logo of DoWCD&SS, GoJ of size minimum 3"x3",

4. उल्लेखनीय है कि राज्य में बढ़ते ठंड के प्रभाव तथा इससे वंचित तबकों को बचाव हेतु जल्द सुविधा उपलब्ध कराने के साधन के रूप में विचारित योजनान्तर्गत लाभार्थियों को प्रदेय कम्बल का क्रय कर शीघ्र वितरण कराने तथा यह क्रय उच्च गुणधर्म सामग्री का करने के अपरिहार्य स्थिति के दृष्टिगत् प्रशासी विभाग द्वारा उक्त प्रस्तावित गुणधर्म के कम्बल वितरण संबंधी कार्रवाई इस प्रत्याशा में प्रारंभ की गई कि दिनांक–10.11.2025 तक सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

5. प्रशासी विभाग द्वारा उक्त के आलोक में ही प्रथमतः माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की सहमति एवं तदुपरांत मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के कार्रवाई की गई।

हालाँकि यह अनुमोदन दिनांक–12.11.2025 को प्राप्त हो सका परन्तु विचारित सामग्री (कंबल) का क्रय संशोधित गुणधर्म (उपर्युक्त कंडिका–03) के आधार पर करने की स्वीकृति विभाग द्वारा सभी जिलों को अपने पत्रांक–3353, दिनांक–11.11.2025 के माध्यम से निर्गत कर दी गई।

यह कार्रवाई भीषण ठंड को देखते हुए वंचित लाभार्थियों के मध्य कंबल वितरण शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ कराने के महत्ती उद्देश्य से की गई।

6. उपर्युक्त परिस्थितिजन्य प्रशासी विभाग द्वारा संकल्प निर्गमण के स्थान पर संलेख प्रस्ताव पर प्रथमतः वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर लेने का विचार किया गया एवं तद्नुरूप कार्रवाई हेतु संचिका का उपस्थापन किया गया। इस क्रम में ही वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा मामला घटनोत्तर स्वीकृति रहने तथा इस पर वित्त विभाग द्वारा विचार नहीं किये जाने संदर्भित निम्न परामर्श प्रदान किया गया –

" उपरोक्त के अवलोकन से मामला घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित प्रतीत होता है। ऐसे मामलों की समीक्षा वित्त विभाग द्वारा नहीं की जाती है।

प्रशासी विभाग यदि चाहे तो उक्त प्रस्ताव को सीधे मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।"

उद्धरणीय है कि ठंड के बढ़ते प्रभाव एवं लाभार्थियों को बचाव हेतु स–समय कम्बल वितरण के महत्ती उद्देश्य से उपर्युक्त गुणधर्म आधारित कंबल के क्रय एवं आपूर्त्ति की कार्रवाई दिनांक–10.11.2025 के प्रभाव से जिलों के स्तर से कराई गई है अतएव वित्त विभागीय परामर्श अनुरूप संलेख प्रस्ताव राज्य मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ सीधे प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई।

7. उपर्युक्त के दृष्टिगत् ही संलेख प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् के समक्ष स्वीकृत्यार्थ प्रस्तुत करने हेतु संचिका मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड को उपस्थापित की गई है। उपर्युक्त वर्णन प्रदर्शित करता है कि प्रशासी विभाग द्वारा कृत्त कार्रवाई कार्यपालिका नियमावली के नियम–15 के अनुरूप की गई है।

8. यह भी उल्लेखनीय है कि –

क) विचारित योजना पूर्व में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड के मातहत् संचालित थी जिसे वर्ष–2019–20 में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को हस्तांतरित की गई।

ख) श्रम विभाग के मातहत संचालित इस योजना अन्तर्गत कंबल का आपूर्त्ति हेतु गुणधर्म संभवतः विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली किसी समिति/उस विभाग की समिति से कराई गई होगी। इस समिति के प्राधिकार (Statutory or else) संबंध में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड को स्पष्ट जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहा है।

ग) हालाँकि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड द्वारा उक्त समिति का परामर्श को ध्यान में रखते हुए कंबल के गुणधर्म पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त करते हुए विभागीय संकल्पांक–1993, दिनांक–16.08.2019 द्वारा प्रावधानित कराया गया। इस आधार पर कंबल के गुणधर्म को समुचित स्वीकृति प्राप्त हो सकी।

घ) चूँकि सम्प्रति विचाराधीन संलेख प्रस्ताव कंबल के गुणधर्म में गुणात्मक संशोधन से संबंधित है अतएव उक्त के आलोक में कोई विशेष समिति गठित नहीं रहने से इस तरह के किसी समिति का अनुशंसा/परामर्श प्राप्ति संभव नहीं है तथा विचाराधीन प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति आवश्यक है। सम्प्रति विचारित गुणधर्म निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड द्वारा व्यापक समीक्षा कर प्रस्तावित किया गया है जिसपर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

9. सम्यक् विचारोपरांत योजनान्तर्गत लाभार्थियों को सदृढ़ गुणधर्म के कम्बल वितरण को सुनिश्चित कराने एवं इस संदर्भित वित्तीय पहलुओं के दृष्टिगत् सामग्रियों के उपलब्धता एवं

व्यवहारिकता के आलोक में उक्त गुणधर्म में निम्नवत् संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उत्पाद	**Specification and Dimension**
कम्बल	Mink Cloudy Blanket with Double ply and of - **a)** Size 60"x90" (+/-2"), **b)** Weight 2 Kg. (+/- 5%) **c)** Logo of DoWCD&SS, GoJ of size minimum 3"x3",

10. एतद् संबंधी पूर्व के आदेश इस हद तक संशोधित करने तथा एतद् संबंधी प्रावधान दिनांक–10.11.2025 के प्रभाव से प्रवृत्त बनाने पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

11. एतद् पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–09.01.2026 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–24 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

19/01/26

(मनोज कुमार)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : – 05/म0स0/यो0–151/2022– 155 **राँची, दिनांक :–** 19-01-2026

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई० गजट को राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

19/01/26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : – 05/म0स0/यो0–151/2022– 155 **राँची, दिनांक :–** 19-01-2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड/माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री के अपर मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झाखण्ड, राँची/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/01/26

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : – 05/म0स0/यो0–151/2022– 155 **राँची, दिनांक :–** 19-01-2026

प्रतिलिपि :– विभागीय वेब मैनेजर, झारखण्ड को एतद् संकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रविष्ट कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/01/26

सरकार के सचिव